न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

लक्ष्मीचंद अग्रवाल पुत्र रामजीलाल अग्रवाल, ठाकुरजी मंदिर के पास, श्रीकैलादेवी, जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.—19/19 ता.रजु 21.10.2019

अपीलअंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक—06.11.2019

1. अपीलाण्टउपस्थित।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को दिनांक—07.08.2019 को आवेदन पत्र प्रेषित कर न्यायालय एस.डी.एम. करौली आवेदन दिनांक 12.09.1992 मिसल नं. 50/92प्रार्थना पत्र श्री गणपतलाल पुत्र देवीलाल मीना बाबत आराजी ख.नं. 2852 ग्राम कैलादेवी तहसील करौली की समस्त प्रार्थना पत्र से लेकर फैसले तक की प्रति मय रिपोर्ट तथा नक्शा सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति से संबंधित सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 07.08.2019 को प्रेषित आवेदन पत्र की छायाप्रति, आवेदन पत्र के साथ संलग्न शुल्क का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
5. लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली से प्राप्त जबाव पत्रांक 494—495 दिनांक 05.11.2019 से अपीलाण्ट को पत्र क्रमांक 316 दिनांक 13.08.2019 से अपीलाण्ट का आवेदन पत्र मूल ही उपखण्ड अधिकारी करौली को अंतरित किया जा चुका है जिसकी सूचना अपीलाण्ट को भी भिजवाई जा चुकी है।
6. अस्तु इस कार्यालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:09:57 IST
Reason: SelfAttested